कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक – शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/निजी/2016–17 दिनांक – 27.07.2016

समस्त संस्थाप्रधान
रामावि/राबामावि/राउमावि/राबाउमावि

विषय :– समस्त केन्द्रीय प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु आवश्यक निर्देश।

प्रसंग :– शासन का पत्रांक – पं.19(3)शिक्षा–6/2008 जयपुर दिनांक 27.07.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 25.07.2016 को शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए जिन की तय समयावधि में अक्षरशः पालना आप द्वारा की जानी सुनिश्चित करें।

क.सं.	पालनार्थ बिन्दु
1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं NMMSS , NSIGSE एवं प्री मैट्रिक छात्रवृत्तियों (अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक आदि केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं) के सम्बन्ध में ऑनलाईन आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एन.एस.पी. पोर्टल वर्जन 2.0) पर विद्यार्थियों, संस्थाप्रधानों, बीईईओ, डीईओ के माध्यम से समयबद्ध रूप से सबमिट करवाए जाएं ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।

इस हेतु समस्त संस्थाप्रधान लगातार विभागीय वैबसाईट shiksha.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध scholarship टैब को रोज खोल कर देखें ताकि किसी भी प्रकार की नवीन जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके। साथ ही वे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एन.एस.पी. पोर्टल वर्जन 2.0) www.scholarship.gov.in को भी विजिट कर विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन व आवेदन की प्रक्रिया को जान–समझ लेवें ताकि विद्यार्थियों का मार्गदर्शन व सहायता करने की स्थिति में आ सकें। समस्त पात्र विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन सबमिट कर दिए जावें इसका पूर्ण दायित्त्व संस्थाप्रधान का रहेगा।

क.सं.	पालनार्थ बिन्दु
2	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अवगत करवाया गया है कि इस सत्र 2016–17 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदनपत्र एन.एस.पी. पोर्टल के स्थान पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के वैब पोर्टल पर ऑनलाईन सबमिट किए जाने हैं।

इस सम्बन्ध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को सीमेट गोनेर में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में एक सत्र के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। वे समस्त संस्थाप्रधानों को आवश्यक निर्देश प्रदान कर अग्रिम प्रकिया सुचारू बनावें। इस कम में विस्तृत दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जा रहे हैं जो कि विभागीय वैबसाईट shiksha.rajasthan.gov.in के scholarship टैब पर शीघ्र ही उपलब्ध होंगे।

क.सं.	पालनार्थ बिन्दु
3	**इस वर्ष से समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों के डीबीटी भुगतान के लिए समस्त लाभार्थियों के आधार सीडेड बैंक खाते अनिवार्य हैं।** अतः लाभार्थियों के आधार सीडेड बैंक एकाउंट खोलने में उनकी सहायता, तदनुसार छात्रवृत्ति के ऑनलाईन प्रार्थनापत्र सबमिट करवाने में विद्यार्थी की सहायता करते हुए समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का दायित्त्व संस्थाप्रधान का होगा।

इसके लिए संस्थाप्रधान द्वारा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंधक इत्यादि से सम्पर्क किया जा सकता है।

पूर्व के निर्देशों के अनुसार विद्यालय में 40 या कम विद्यार्थियों के आधार कार्ड उन्हें आधार पंजीकरण केन्द्रों पर ले जा कर तथा 40 से अधिक विद्यार्थी होने पर विद्यालय में शिविर लगवा कर बनवाए जावें।

समस्त लाभार्थी विद्यार्थियों के स्वयं के बैंक खाते हों (माईनर होने की स्थिति में विद्यार्थी का स्वयं का खाता माता या पिता की गार्जियनशिप में बैंक द्वारा खोला जाता है)

समस्त लाभार्थी विद्यार्थियों के आधार तथा बैंक खाते बन जाने पर साथ साथ बैंक खातों से आधार सीडिंग (लिंक करवाने) का कार्य भी करवाते रहें।

इस क्रम में समस्त संस्थाप्रधान/बीईईओ 31.07.2016 तक की प्रगति रिपोर्ट संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को संलग्न **प्रारूप–ए** में 02.08.2016 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिले की समेकित प्रगति रिपोर्ट 03.08.2016 तक इस कार्यालय को तथा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक जिले की समेकित प्रगति रिपोर्ट 03.08.2016 तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रस्तुत करेंगे। यह सूचना प्रति सप्ताह देनी है शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त होने तक।

ध्यान रहे कि विद्यार्थी का नाम विद्यालय रेकॉर्ड में, बैंक खाते में तथा आधार में समान हो अन्यथा आगे तकनीकी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। यदि किसी विद्यार्थी के बैंक खाते अथवा आधार में नाम, जन्मतिथि या अन्य कोई प्रविष्ठि विद्यालय अभिलेख से भिन्न है तो उसे भी समय रहते संशोधित करा लेवें।

क.सं.	पालनार्थ बिन्दु
4	समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधान, समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी तथा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्रारम्भिक अगले 5 दिवस में स्वयं के डिजिटल सिग्नेचर बनवाना सुनिश्चित करें।

इसके लिए जिला मुख्यालय पर जिला कलैक्टर कार्यालय में पदस्थापित एसए/एसीपी एन.आई.सी. /डीओआईटी से मार्गदर्शन व सहायता प्राप्त की जा सकती है। हर जिला मुख्यालय पर इस हेतु एजेन्सियां कार्य कर रही हैं जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। संस्थाप्रधान/बीईईओ स्वयं इनीशियेटिव लेते हुए दो वर्षों के लिए अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाएं तथा अपने जिला शिक्षा अधिकारी को अविलम्ब **प्रारूप–ब** में रिपोर्ट करें। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक कार्यालय इस प्रक्रिया का समन्वयन तथा प्रबोधन करते हुए 5 दिवस में यह कार्य सम्पन्न करावें तथा इस कार्यालय/निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को अपने अपने क्षेत्र की प्रगति रिपोर्ट 03.08.2016 तक प्रस्तुत करेगें।

प्रारूप–अ **जिला**

छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों के आधार सीडेड बैंक खातों की अद्यतन स्थिति

नाम विद्यालय /जिला	छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र विद्यार्थियों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या जिनके स्वयं के बैंक खाते हैं	विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास आधार संख्या है	विद्यार्थियों की संख्या जिनके बैंक खाते आधार सीडेड हो चुके हैं
1	2	3	4	5

नोट – 1. कॉलम 1 में संस्थाप्रधान अपने विद्यालय का नाम तथा जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले का नाम लिखें।
2. यह सूचना प्रति सप्ताह मंगलवार को संस्थाप्रधान द्वारा तथा हर बुधवार को जिशिअ द्वारा सक्षम स्तर पर दी जावे शत–प्रतिशत लक्ष्य अर्जित हो जाने तक। कार्य 15.08.2016 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

हस्ताक्षर मय मोहर

प्रारूप–ब **जिला**

छात्रवृत्ति डिजिटाइजड शीटों के सत्यापन हेतु डिजिटल सिग्नेचर बनने की अद्यतन स्थिति

नाम विद्यालय/जिला	जिले में कुल संस्थाप्रधान/बीईईओ की संख्या	संस्थाप्रधान/बीईईओ की संख्या जिनके डिजिटल सिग्नेचर बन चुके हैं
1	2	3

नोट – 1. कॉलम 1 में संस्थाप्रधान अपने विद्यालय का नाम तथा जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले का नाम लिखें।
कॉलम 2 व 3 में संस्थाप्रधान/बीईईओ संख्यात्मक सूचना अद्यतन स्थितिनुसार 1 अथवा 0 अंकित कर देवें

हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त समस्त निर्देशों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करें।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा ,राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कृपया अधीनस्थ डीडी/डीईओ/बीईईओ कार्यालयों को तदनुसार निर्देशित करावें।
3. निदेशक संस्कृत शिक्षा/विशिष्ठ शासन सचिव स्कूल शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग/ शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. समस्त डी.डी. माध्यमिक को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय समस्त कार्यक्रम का समन्वयन कर करणीय कार्यों की क्रियान्विति तय समय सीमा में सम्पन्न करवाना सुनिश्चित करें।
7. अनुभाग अधिकारी कार्यालय हाजा पत्र को शालादर्पण rajrmsa तथा विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करावें।

27/7/16
प्रभारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर